(वाद सं0-6938/4/10/2021)

22.12.2022

परिवादी, मोनल कुमार, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी की माता, सुषमा प्रसाद, की चिकित्सा कर रहे Heritage Hospital, Donar, दरभंगा के चिकित्सक डॉ0 नीरज प्रसाद, के द्वारा गलत चिकित्सा किये जाने से हुई मृत्यु की जांच कराये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा से प्रतिवेदन की मांग की गई। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी के पिता, मायाशंकर प्रसाद, द्वारा Heritage Hospital, Donar, दरभंगा के डॉ0 नीरज प्रसाद, के विरूद्ध गलत ईलाज से उनकी पत्नी की मृत्यु तथा मृतक के परिजनों के साथ अस्पताल कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के संबंध में दिये गये आवेदन में लगाये गये आरोपों की जांच सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा तथा अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष जांच पदाधिकारी, दरभंगा के नेतृत्व में त्रिसदस्यीय जांच दल द्वारा जांच किया गया। उक्त जांच समिति के द्वारा जांचोंपरान्त यह निष्कर्ष दिया गया है कि श्री मायाशंकर प्रसाद, द्वारा डॉ0 नीरज प्रसाद, पर लगाया गया आरोप सत्य नहीं है और जिस समय उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, वह Period Highly Covid Infection Period का समय था एवं उनकी पत्नी Post Covid Complex के दौरान भर्ती हुई थी, जिसके आधार पर डॉ0 नीरज प्रसाद एवं उनकी टीम द्वारा बचाया नहीं जा सका। जांच दल द्वारा यह भी मंतव्य दिया गया है कि परिवादी की माता, (मायाशंकर प्रसाद की पत्नी) की मृत्यु में डॉ0 नीरज प्रसाद, एवं Heritage Hospital, Donar, Darbhanga को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा** के प्रतिवेदन, त्रिसदस्यीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है। परिवादी का कथन है कि 22 जून 2021 को वह अपनी माता, स्व0 सुषमा प्रसाद, को मात्र डायलिसिस कराने हेतु Heritage Hospital, Donar, दरभंगा में Admit किया था तथा डॉ0 नीरज प्रसाद, द्वारा हृदयाघात से संबंधित दवा Dobucine को देने व उसकी माता का गलत चिकित्सा करने के कारण उक्त अस्पताल में ही ईलाज के दौरान दिनांक–22.06.2022 को उनकी मृत्यु हो गई। परिवादी का यह भी कथन है कि उसकी माता कभी भी कोरोना से पीड़ित नहीं हुई थी तथा दिनांक–01.06.2021 को Heritage Hospital, Donar, दरभंगा द्वारा उसकी माता का कोरोना से संबंधित RTPCR Test भी कराया गया, जिसका रिपोर्ट निगेटिव आया। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में उपरोक्त जांच दल के जांच प्रतिवेदन का बिंदुवार प्रतिवाद किया गया है।

प्रसंगाधीन मामला चिकित्सा से संबंधित है, जिसमें विशेषज्ञ का परामर्श आवश्यक प्रतीत होता है।

प्रसंगाधीन मामले पर विशेषज्ञ के प्रतिवेदन हेतु निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना से दिनांक–10.03.2023 के पूर्व प्रतिवेदन की मांग की जाय।

संचिका दिनांक–21.03.2023 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक